

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / अधि. छा. क्र. / 2018 / 199.

जबलपुर, दिनांक: 26.10.2018

आदेश

मध्य प्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F1-6/2017/38-3, भोपाल दिनांक 26/12/2017 के अनुसार विश्वविद्यालय में "शिकायत निवारण अधिनियम" (शिकायत निवारण) 2012 को लागू किया जाना है। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के लिए "शिकायत निवारण समिति" की नियुक्ति का प्रावधान है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध आठ आग्रणी महाविद्यालयों के स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं। यथा:-

- D.S.W/199
21/10/2018
- जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट (अग्रणी महा.वि.)
 - प्रो. आर.के. यादव अध्यक्ष
 - डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव सदस्य
 - डॉ. दिनेश मेशराम सदस्य
 - डॉ. प्रीति वासनिक सदस्य
 - शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र विशेष प्रतिनिधि
 - शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाडा (अग्रणी महा.वि.)
 - प्रो. एस. एन. मिश्र अध्यक्ष
 - डॉ. यू. के. जैन सदस्य
 - डॉ. पी. आर. चांदेलकर सदस्य
 - डॉ. एस. के. एस यादव सदस्य
 - शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र विशेष प्रतिनिधि
 - रानीदुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला (अग्रणी महा.वि.)
 - प्रो. सरदूल सिंह संधु अध्यक्ष
 - डॉ. राजेश चौरसिया सदस्य
 - डॉ. कल्पना शास्त्री सदस्य
 - डॉ. आई के यादव सदस्य
 - शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र विशेष प्रतिनिधि
 - शासकीय तिलक कालेज, कटनी (अग्रणी महा.वि.)
 - प्रो. अलका नायक अध्यक्ष
 - डॉ. सुधीर खरे सदस्य
 - डॉ. रंजना मिश्रा सदस्य
 - डॉ. साधना जैन सदस्य
 - शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र विशेष प्रतिनिधि
 - शासकीय चंद्र विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डिण्डोरी (अग्रणी महा.वि.)
 - प्रो. ममता राव अध्यक्ष
 - डॉ. एस. के बर्मन सदस्य
 - डॉ. सी. एस. परास्ते सदस्य
 - डॉ. प्रेम सिंह गोरे सदस्य
 - शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र विशेष प्रतिनिधि
 - स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नर्सिंहपुर (अग्रणी महा.वि.)
 - प्रो. शैलेश चौबे अध्यक्ष
 - डॉ. सतीश दुबे सदस्य
 - डॉ. एम. पी. श्रीवास्तव सदस्य
 - डॉ. हेमन्त तनकाप्पन सदस्य
 - शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र विशेष प्रतिनिधि

7. स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवनी (अग्रणी महा.वि.)

1. प्रो. एस. एन. बागची
2. डॉ. एस. के. शिले
3. डॉ. अमिता पटेल
4. डॉ. जी. एल. तलवारे
5. शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
विशेष प्रतिनिधि

8. महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (अग्रणी महा.वि.)

1. प्रो. विवेक मिश्र
2. डॉ. आर. सैम्यूल
3. डॉ. लीला मलावी
4. डॉ. ए. एल. महोबिया
5. शिकायत से संबंधित महा.वि. का कोई एक नामित छात्र

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
विशेष प्रतिनिधि


9. सनीदुर्गावती विश्वविद्यालय, (यू.टी.डी.) जबलपुर

1. प्रो. राजीव दुबे
2. डॉ. दिव्या चंसीरिया
3. डॉ. राधिका प्रसाद मिश्र
4. डॉ. दिव्या बागची
5. शिकायत से संबंधित वि.वि. का कोई एक नामित छात्र

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
विशेष प्रतिनिधि

समस्त अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध है कि वे मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के उक्त संबंधित अधिनियम के नियमानुसार शिकायतों के निवारण की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। अग्रणी महाविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों से संबंधित शिकायतों का निवारण उक्त समिति द्वारा किया जाना है। गठित समितियों की बैठक अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा उनके मुख्यालय पर आवश्यकतानुसार आहूत की जावेगी।

आदेशानुसार



(प्रो. विवेक मिश्र)

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण


सनी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।

पृ.क्र. अधि.छा.क.वि./2018/ 199- 'अ'

जबलपुर, दिनांक:- 26.10.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर
2. समिति के अध्यक्ष, एवं सदस्यगण
3. कुलपति जी एवं कुलसचिव जी के निज सचिव, रा.दु.वि.वि. जबलपुर
4. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर



(प्रो. विवेक मिश्र)

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

सनी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।